छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 725/2008

1. श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता एवं अन्य एक – *अपीलार्थी*
गुप्ता बुक डिपो, सुभाष बाजार काम्पलेक्स,
भाटापारा, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय नगर पालिका परिषद,
भाटापारा, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 18 जून, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 02.05.2008 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका परिषद, भाटापारा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 06.06.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर भी कोई जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 02.07.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में अपीलार्थी ने बताया कि अपूर्ण एवं असंबंधित जानकारी दी गई है, इसलिए जन सूचना अधिकारी को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया और साथ ही शेष जानकारी 15 दिवस में निःशुल्क देने के निर्देश दिये गये। जन सूचना अधिकारी ने कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया और उन्होंने त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए श्री साहबलाल खुटे, सहायक अभियंता को जिम्मेदार बताया, अतः उक्त सहायक अभियंता को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उन्होंने दिनांक 01.06.2009 को प्रस्तुत किया। प्रकरण में नगर पालिका की ओर से प्रस्तुत उत्तर में यहीं बताया गया है कि जितनी जानकारी उनके पास थी, दी जा चुकी है और विद्युत मीटर दुकानदार को स्वयं लगवाना था तथा दुकानदार द्वारा अनुबंध कराये जाने पर ही नगर पालिका की ओर से अनुबंध प्रमाण पत्र जारी करना था, जो अपीलार्थी द्वारा अनुबंध नहीं कराने के कारण नहीं किया जा सका। प्रकरण में प्रस्तुत उत्तर से स्पष्ट होता है कि दिनांक 02.05.2008 के आवेदन की जानकारी दिनांक 30.07.2008 को दी गई है, उसके बाद अपीलार्थी को दिनांक 23.05.2009 को अभिलेखों का निःशुल्क निरीक्षण भी कराया गया, किन्तु अपीलार्थी बिना हस्ताक्षर किये चले गये। मौखिक तर्क में अपीलार्थी द्वारा यह बताया गया कि वे अभी–तक संतुष्ट नहीं है और उन्हें संभवतः पूरा रिकार्ड नहीं दिखाया गया है तथा जिन बिन्दुओं पर वे जानकारी चाहते हैं उनमें विद्युत व्यवस्था, प्रसाधन, जल व्यवस्था एवं पानी निकासी के बारे में क्या प्रावधान किये गये थे और अभी–तक नगरपालिका ने क्या कार्यवाही की गई से संबंधित है।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

यह सही है कि निलामी की शर्तें एवं विज्ञापन दे दिया गया है और उसके अनुसार यदि कार्यवाही नहीं हो रही है तो अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में नगरपालिका के विरूद्ध वाद दायर करना चाहिए और वहॉ से राहत प्राप्त करना चाहिए। सूचना आयोग का कार्य केवल सूचना दिलवाना है और उस संबंध में सूचना उन्हें दी गई है, फिर भी प्रकरण में यह निर्देश दिये जाते हैं कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा आयोग के समक्ष यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावे और उसकी प्रति अपीलार्थी को दिया जावे कि चाही गई जानकारी में से जितनी जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध थी, पूरी दी जा चुकी है और उसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं है। प्रकरण में जन सूचना अधिकारी द्वारा थोड़ा सा विलंब किया गया है। सहायक अभियंता ने जो जानकारी दी है वह त्रुटिपूर्ण होना नहीं बताया है, किन्तु उन्होंने जन सूचना अधिकारी को कब जानकारी भेजी यह स्पष्ट नहीं किया है, इससे प्रतीत होता है कि विलंब दोनों के द्वारा ही किया गया है, किन्तु विलंब के पीछे कोई दुर्भावना नहीं है, अतः थोड़ा उदार रूख अपनाते हुए जन सूचना अधिकारी पर रूपये पॉच सौ तथा सहायक अभियंता पर रूपये एक हजार की शास्ति विलंब हेतु धारा–20(1) के अन्तर्गत आरोपित की जाती है। प्रकरण में जानकारी देने में जो थोड़ा विलंब हुआ है, उसके कारण अपीलार्थी को जो आर्थिक/मानसिक क्षति हुई है, उसके लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत नगरपालिका की ओर से राशि 500/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं। साथ ही मुख्य नगरपालिका अधिकारी को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि निलामी की शर्तें अथवा अन्य नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत उक्त काम्पलेक्स में जो भी कार्य शेष रह गया हो, उसे शीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में तत्परता से कार्यवाही करें, ताकि दुकानदारों की कठिनाईयों का निराकरण किया जा सके।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com